म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Governmernt of Madhya Pradesh

क्र. 1045/स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2019 दिनांक 07/10/19

प्रति,

कुलसचिव,
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय,
छतरपुर

विषयः—श्री कृष्णा निजी विश्वविद्यालय, छतरपुर में सत्र 2019—20 से प्रारंभ किये जाने वाले नवीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश बावत्।

संदर्भः—आपके पत्र क्रमांक एसकेयू/414/19 भोपाल, दिनांक 04/09/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013, 2016 की धारा 9(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्यधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 12/07/2019 पर म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की 149वीं सभा दिनांक 13/09/2019 के एजेण्डा क्र (149)—6 में लिए गए निर्णय के पालन में आपके विश्वविद्यालय में निम्न पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2019—20 से प्रारंभ करने की अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है :—

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	कक्ष संख्या	प्रयोगशाला कक्षो की संख्या	शिक्षको की संख्या	राज्य/केन्द्र नियामक संस्था की अनुमति	जनर्लस एवं किताबो की संख्या	अध्यादेश क्रमांक	रिमार्क
1	D. Pharma	60	02	15	17	पीसीआई से अनुमति प्राप्त	2500	17	
2	B. Pharma	100	04					18	
3	B.Sc. Agr. (H)	600	08	10	20		2800	72	आईसीएआर की पंचम डीन कमेटी द्वारा निर्धारित मापदंडो का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
4	B.A. Education	200	08	10	50		5200	100	
5	M.A. Physical Education	120	08	10				90	शारीरिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों के अध्यापन/प्रशिक्षण कार्य हेतु अध्यापकों/प्रशिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार होगी।
6	M.P.E.	120	08	10				91	
7	B.A.L.L.B. (Hon)	180	08	02	16	बीसीआई से अनुमति प्राप्त	2300	34	लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 के मापदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
8	L.L.B.	180	08	02				32	
9	L.L.M.	200	08	02				35, 89	

निरंतर — 2

कुलसचिव
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

10	PGDBM	600	15	02	30			81	प्रबंधन संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु एआईसीटीई के मापदंडों अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात होना अनिवार्य है। अतः 3000 सीट संख्या के लिए एआईसीटीई के मापदंड अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षक नियुक्ति किये जाए। (150 शिक्षक)
11	PGDM	1200	15	02				88	
12	MFM	1200	15	02			5000	87	
13	Paramedical 2 Year Diploma		25	10	14	स्टेट पैरा मेडिकल काउंसिल से अनुमति प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन करने का उल्लेख किया गया है।		92	स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल की मान्यता संबंधी पत्र/आदेश संलग्न करे।
14	Paramedical 3 Year UG Degree Course	50	25	10			5000	94, 95, 96, 97	
15	Paramedical 4.5 Year UG Degree Course		25	10				98, 99	

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त पाठ्यक्रमों के सम्मुख प्रदर्शित सीट संख्या निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकृत की जाती है :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी.सी.आई., पी.सी.आई., ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई., आई.सी.ए.आर. तथा स्टेट पैरामेडिकल काउसिल के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडो/मानकों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं, अधोसंरचना, उपकरण, पुस्तकें, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, मूट कोर्ट इत्यादि की उपलब्धता होना चाहिए।
2. यूजीसी एवं विनियामक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार अनुपातिक संख्या में अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति उपरोक्तानुसार की जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. प्रवेशित विद्यार्थियों का रिकार्ड डिजिटल फार्मेट(NAD) में संधारित करना होगा।
4. भविष्य में पाठ्यक्रम जिनमें अध्यादेशों का प्रकाशन हो चुका है, उन्हे प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
5. उपरोक्त मापदंडो/शर्तो का पालन नहीं किये जाने की दशा में अथवा किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में म.प्र.निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन स्वमेव उत्तरदायी होगा।

Sd
सचिव

पृ. क्रमांक..1046/स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2019 भोपाल, दिनांक 07/10/2019

प्रतिलिपि–

1. कुलपति, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर की की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सचिव के माध्यम अध्यक्ष, म.प्र.निविविवि आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

सचिव

कुलसचिव
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner